8/6/17 आज यह पत्रावली प्राप्त हुई पत्रा. क्रमांक में प्राप्त हुई प्रार्थी कमल उप. अनुभाग T.G. कार्यालय का निवेदन विरुद्ध अप्रार्थी-2 को 3½ वर्ष बीत जाने पर भी वारंट प्राप्त नहीं किया। प्रा.पत्र व वारंट का अभाव विरुद्ध वाद का निर्णय तक विपक्षीगण आगे कुर्की होने से सीज़ियन रहने की सम्भावना के मद्देनजर पूर्व निर्णय 21-01-2013 को संशोधित कर कार्यालय विरुद्ध ही पत्रा. नम्बर 2 के कार्य होकर वारंट कार्यालय पश्चिमपुरा को जारी। निर्णय क्रमांक में किसी प्रकार का परिवर्तन कर अनुपालन करें।

Scanned by CamScanner